

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक :- 18

Series 27 9 2024

दिनांक: 27.02.2024

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आयोग में वर्ष 2023—24 के लिए आई.टी. उपकरण (हार्डवेयर) क्रय करने के लिए प्रतिष्ठित निर्माता/डीलर्स/विक्रेताओं आदि से ई—बिड आमंत्रित की जाती हैं। ई—बिड संबंधी अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

सामग्री का विवरण .	आई.टी. उपकरण (हार्डवेयर)
अनुमानित वार्षिक मूल्य	24.88 लाख रू.
ई—बिड प्रपत्र का मूल्य/निविदा शुल्क	रू. 500/— वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प—6(5) वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार ई—ग्रास सिस्टम के माध्यम से बजट मद 0075—800—52—01 में जमा कराकर चालान की प्रति संलग्न करावें।
RISL शुल्क	रू. 500 / – MD, RISL ई-ग्रास चालान द्वारा बजट मद 8658–00–102–(16)–(01) (सिविल विभाग) में जमा करा चालान की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे।
ई—बिड प्रतिभूति राशि	रू.49760 / — वित्त विभाग के परिपन्न क्रमांक प—हे(इ) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 बजट मद 8443—00—103—00—00 में जमा कराकर चालान की प्रति संलग्न करावें।
ई—बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दि. 04:03.2024 अपरान्ह 03:00 बजे
ई–बिड खोलने की तिथि एवं समय	दि. 04.03.2024. अपरान्ह 03:30 बजे (3:30 बजे)
ई-बिड अपलोड/प्रकाशित किये जाने की दिनांक	दि 27.02.2024

नोट :-

- 1. ई बिड प्रपत्र एवं शर्तें https://eproc.rajasthan.gov.in, https://rpsc.rajasthan.gov.in एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए ई बिड प्रपत्र शुल्क / निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) / बिड प्रतिभूति राशि तीनों एक ही चालान से जमा करा कर ई—ग्रास चालान की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 2. ई-बिड शुल्क, ई-बिड प्रासेसिंग फीस एवं ई-बिड सिक्योरिटी राशि एक ही चालान के द्वारा उपरोक्त बजट मद में ई-ग्रास के माध्यम से जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करावें। ई-ग्रास के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से राशि स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

उप सचिव

एफ 3 (176)स्टोर/कम्पयूटर आईटम क्रय/2023-24/

दिनांक : 27. १. २०24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर एक क्षेत्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं पचास हजार प्रतियां और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।

2. नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

3. प्रभारी अधिकारी आई टी अनुभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर उक्त निविदा सूचना को आयोग की वेबसाईट, ई—प्रोक के पोर्टल तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल (SPPP) पर अपलोड अनिवार्य रूप से करावें।

उप सचिव

प्रोग्रामर

उप निदेशक

उपसचिव

-प्रे-उपसचिव

वितीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

बिड सं. : 18

बिड जमा कराने की अंतिम दि:- 4.3.24

अपरान्ह 3.00 बजे तक

बिड प्रपत्र का मूल्यः 500/- (पांच सौ रूपये)



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

AIO Desktop computer, MFP Printer, Sheet Feed Scanner, MFP Color, Printer एवं UPS क्रय के लिए बिंड सूचना।

संलग्न — बिड की अन्य शर्ते ग्रामर उपसचिव उपसचिव उपसचिव वित्तीव सलाहकार संयुक्त सचिव		
शाखा का नाम	1	बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता :
शाखा का नाम		मय दूरभाष / मोबाइल नं. :
शाखा का नाम		बैंक खाता सं. बैंक का नाम
3 संदर्भ : ई-बिड सूचना संख्या दिनांक		शाखा का नाम IFSC CODE
3 संदर्भ : ई-बिड सूचना संख्या दिनांक	2	किसको सम्बोधित किया गया - सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 ई—बिड प्रपत्र शुल्क की राशि 500/— चालान नं. / CIN के द्वारा जमा करा दी गयी है। RISL शुल्क राशि 500/— चालान क्रमांक ह्वारा जमा करा दी गयी है। 5 ई—बिड प्रतिभूति राशि /— चालान नं./ CIN दिनांक के द्वारा जमा करा दी गयी है। 6 GST पंजीयन सं PAN नं (प्रति संलग्न करें) 7 हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी ई—बिड सूचना संख्या	3	संदर्भ : ई-बिड सूचना संख्या दिनांक
चिनांक द्वारा जमा करा दी गयी है। RISL शुल्क राशि 500 / — चालान क्रमांक द्वारा जमा करा दी गयी है। 5 ई—बिड प्रतिभृति राशि /— चालान नं./ CIN दिनांक के द्वारा जमा करा दी गयी है। 6 GST पंजीयन सं PAN नं (प्रति संलग्न करें) 7 हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी ई—बिड सूचना संख्या	4	ई-बिड प्रपत्र शुल्क की राशि 500/- चालान नं. / CIN दिनांक
दिनांक द्वारा जमा करा दी गयी है। 5 ई—बिड प्रतिभूति राशि /— चालान नं./ CIN दिनांक		के द्वारा जमा करा दी गयी है। RISL शुल्क राशि 500 / — चालान क्रमांक
चिनाक के द्वारा जमा करा दी गयी है। के द्वारा जमा करा दी गयी है। 6 GST पंजीयन सं		दिनांक द्वारा जमा करा दी गयी है।
क द्वारा जमा करा दी गयी है। 6 GST पंजीयन सं	5	ई-बिड प्रतिभृति राशि /- चालान नं./ cin दिनांक
6 GST पंजीयन सं PAN नं		के टारा जमा करा दी गयी है।
विनांक में विणित सभी शर्ती से तथा सलग्न शीट म दी गयी उक्त बिंड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) 8 उक्त निविदा हेतु संलग्न अनेक्जर में उल्लेखित मदों की सप्लाई के लिए दरें ऑनलाईन प्रस्तावित करनी होगी। 9 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (आपूर्ति आदेशानुसार) में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी। 10 बिंड प्रपत्र में 651 कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिंड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभृति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिंड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिंडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिंड को अस्वीकृत करने /शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज /प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिंडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न — बिंड की अन्य शर्ते	6	GST पंजीयन सं. PAN नं. (प्रति संलग्न करें)
विनांक में विणित सभी शर्ती से तथा सलग्न शीट म दी गयी उक्त बिंड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) 8 उक्त निविदा हेतु संलग्न अनेक्जर में उल्लेखित मदों की सप्लाई के लिए दरें ऑनलाईन प्रस्तावित करनी होगी। 9 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (आपूर्ति आदेशानुसार) में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी। 10 बिंड प्रपत्र में 651 कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिंड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभृति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिंड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिंडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिंड को अस्वीकृत करने /शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज /प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिंडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न — बिंड की अन्य शर्ते	7	हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी ई-बिड सूचना संख्या
की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) 8		दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना
शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) 8		की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित
8 उक्त निविदा हेतु संलग्न अनेक्जर में उल्लेखित मदों की सप्लाई के लिए दरें ऑनलाईन प्रस्तावित करनी होगी। 9 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (आपूर्ति आदेशानुसार) में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी। 10 बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्त		शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।)
अॉनलाईन प्रस्तावित करनी होगी। 9 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (आपूर्ति आदेशानुसार) में सामग्री की सुपूर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी। 10 बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न — बिड की अन्य शर्ते	8	उक्त निविदा हेतु संलग्न अनेकजर में उल्लेखित मदों की सप्लाई के लिए दरें
आदेशानुसार) में सामग्री की सुपूर्वगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी। 10 बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते		ऑनलाईन प्रस्तावित करनी होगी।
10 बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति संलग्न करें) 11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निवदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निवदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते जपसंचिव जपसंचिव विद्या संलाहकार संयुक्त सचिव	9	फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (आपूर्ति
11 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है। 12 बिंड प्रपंत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिंड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिंडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिंड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिंडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न — बिंड की अन्य शर्ते		आदेशानुसार) में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी।
12 बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क एवं बोली प्रतिभूति शुल्क संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते	10	बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं। (प्रति सलग्न करें)
विचार नहीं किया जावेगा। 13 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते उपसंचिव जपसंचिव विज्ञीय सलाहक्ए संयुक्त सचिव	11	आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है।
तो बिड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा। 14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते प्रमाप जपसीवव विजीव सलाहकार संयुक्त सचिव		विचार नहीं किया जावेगा।
14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया सलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते प्रमाप उपसचिव उपसचिव उपसचिव विनीय सलाहकार संयुक्त सचिव	13	बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है
14 निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया सलग्न करनी होंगी। साथ ही सभी दस्तावेज / प्रमाण पत्र निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते प्रमाप उपसचिव उपसचिव उपसचिव विनीय सलाहकार संयुक्त सचिव		तो बिंड को अस्वीकृत करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा।
तिथि को वैध होने चाहिए। बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते प्रामर उपस्चिव उपस्चिव उपस्चिव उपस्चिव	14	निविदा ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाएगी। सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सलग्न
बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न – बिड की अन्य शर्ते प्रामर उपसचिव उपसचिव वित्तीय सलाहकार संयुक्त सचिव		
संलग्न — बिड की अन्य शर्ते ग्रामर उपसचिव उपसचिव उपसचिव वित्तीव सलाहकार संयुक्त सचिव		तिथि को वैध होने चाहिए।
संलग्न — बिड की अन्य शर्ते ग्रामर उपसचिव उपसचिव उपसचिव वित्तीव सलाहकार संयुक्त सचिव		
ग्रामर उपसचिव उपसचिव वित्तीव्र सलाहकार संयुक्त सचिव		बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
		संलग्न – बिड की अन्य शर्तें
	200	5 8/
	ग्रामर	वित्तीय सलाहकार संयुक्त सचिव



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

AlO Desktop computer, MFP Printer, Sheet Feed Scanner, MFP Color Printer एवं UPS क्रय के लिए बिड प्रपत्र

1.	ई-बिड प्रस्तुत करने	वाली फर्म/व्यक्ति का नाम, पता व दूरभाष नम्बर		
			बैंक का	
	खाता संख्या	ब्रांच का नाम	PAN	
	No	IFSC कोड		
2.	जिसको सम्बोधित कि	या गया – सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर		
3.	सन्दर्भ : ई-बिड सूच	ना सं दिनांक		
			के द्वारा जमा	
	करा दी गयी हैं। RI	की राशि 500/— चालान संख्या दिनांक SL शुल्क राशि 500/— चालान क्रमांक दिनांक	द्वारा	
	जमा करा दी गयी है			
5.	ई–बिड प्रतिभूति राशि	/– चालान नं./c/N द्वारा जमा करा दी	गई है।	
मैं, र	उपरोक्त ई–बिड सूचन	ग संख्या दिनांक के अनुसार निम्नलिखित दरें प्रस्तुत	करता हूं :-	
		14 100 11 100 100 11 100 100 11 100 100 11 100 100 11 100 100 11 100 100	TOTAL STREET	
S.N.	Note :- Vendor	to Attach Relevant Make/Model and Brochures for the below ite	ms Quantity	
	L LEGI	AIO Desktop Computer	Quantity	
	Tymo			
	Туре	Business (No Home Segment)		
	Processor	Intel Core i5 (12th Generation or higher) 6 Core or higher, with minimum 2.5 GHz or higher (Base Frequency), 18 MB Cache		
	Chipset	Compatible		
		Pre-installed Genuine OEM Microsoft Windows 11 Professional (64	NE W	
	Operating System	bit) or higher with OEM recovery Partition/ Recovery DVD or Higher	* T	
		with Microsoft Office Home & Business or Higher	EN	
	RAM	8 GB DDR4 (min 3200 MHz) or higher with 64 GB Expandability		
	Storage	512Gb NVMe SSD Minimum 23.8" inch or higher, Resolution 1920X1080 or higher		
	Display	Display	-5	
4	Graphics	Integrated		
1	Multi Media	Interated HD webcam 5MP, Speaker, Microphone	30	
	Audio	Integrated audio controller with internal Speaker		
	Input Devices	OEM USB Keyboard and OEM USB two button Optical mouse with Mouse Pad		
	Wireless			
	VELVII I	Wifi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth 4.0 or Higher Minimum 05 USB ports with at least 2 USB 3.0 or higher		
	Ports	ports, Ethernet, HDMI, Display port, Audio jack for headphone &		
		microphone		
	Certification	BIS, RoHS, OEM Certification for preloaded Operating System (OS)		
	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet, Integrated 802.11 ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0 or higher		
	Accessories	All Necessary Cable (power & data cable) to be included		
	Installation &	Installation to be done by Vendor & 03 Year on-site OEM Warranty		
	Warranty	with local support		
	Note : Vendor	to provide 01 Recovery Media (USB flash drive) for the above OS system		
	0.1.1.7	MFP Printer		
2	Print Type	Monocrome Laser	08	
2	Functionality	Print, Scan, Copy		
	Print Pasalutan	20-24 ppm, Duplex print - Auto		
	Print Resoluton	600 * 600 dpi or higher	1	

प्रोग्रामर

उप निदेशक

उपसचिव

च्ये-उपसचिव

विज्ञीय सलाहकार

४२ संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

	Memory	64 Mb or Higher	
	Display	Momochrome LCD Display	
	Duty Cycle	25000 pages per month	Hall to the
	Paper Size Support	A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	iodus de l'
	Scan Type	FLATBED, ADF	1
	Printer Toner Type	Separate Drum and Toner	113. 2
	Duplex ADF	E-c-7 och seisen sun	
	scanning	Yes	THE LAY
	Compatible OS	Min. Windows 7	
	Certification	BIS, RoHS	with the
	Connectivity	USB, Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n	l tag 1
	Cables/ Accessories	All the required cables, Accessories	
	Software Media	Driver & Utility Software	
	Installation & Warranty	Installation to be done by Vendor & 03 Year on-site OEM Warranty with local support	- 61
		Sheet Feed Scanner Specifications	
	Scanner Type	Sheet Feed Scanner	to all o
	Functionality	Scan with two-sided scanning that captures both sides at once	
	ADF Capacity	Min. 50 Sheets or higher	1
	Paper Size Support	A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	a s. F
	Scan Type	ADF (Single-pass duplex)	Three C
	Scan Speed	ADF 35 ppm/ 70 ipm, Scan resolution 600dpi or Higher	
	Optical resolutions	600*600 dpi (Color and Mono Sheet Feed)	
	Duplex ADF	000 000 upi (color una mono snecer ecu)	00
	scanning	Yes Text, Images, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF,	08
	Scan File Format	Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF	: "HI
	Compatible OS	Min. Windows 7	
	Certification	BIS, RoHS	
	Connectivity	USB 2.0 or higher	
	Accessories	USB Cable, AC adaptor, Power Cable, Setup guide document, Installation Software	
	Installation & Warranty	Installation to be done by Vendor & 03 Year on-site OEM Warranty with local support	
	The felicient	MFP Color Printer	
	Product type	Laser printer (Color)	
	Functionality	Print, Scan, Copy, Fax	
	Print Quality Black (Normal)	600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
	Print Quality Black (Best)	Up to 600 x 600 dpi	73 a ad
	Connectivity Ports	Hi-Speed USB 2.0 , Ethernet 10/100	
	Print speed black (normal, letter)	Min. 24 PPM	02
	Print speed Color (normal, letter)	Min. 24 PPM	- 02
	Duplex printing	Automatic (standard)	St.
	Memory	Min. 512 MB or higher	F-12
	Duty Cycle	30,000 Per Months	
	Standard output capacity	Up to 50 sheets	
	Media sizes supported	A4; A5; A6; B5; Legal	
	Standard media sizes (duplex)	A4; A5; A6; B5; Legal	

प्रोग्रामर

उप निदेशक

उपसचिव

ज्यामित

विचाय संलाहकार

ا الالمام

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

	Certification	BIS, RoHS	
	Supported Operating Systems	Min. Windows 7	
	Installation & Warranty	Installation to be done by Vendor & 03 Year on-site OEM Warranty with local support	
		Line Interactive UPS	
	Material	Metal & Plastic	
	UPS Capacity	1 KV	
	Protection	Full Protection	
	Input Voltage Range	160 V ~ 300 V AC	
	Output Voltage	230 V ± 10%	
	Power factor	0.6 or higher	
	Back up time	168 VAH for 30 Minutes backup on 1 PC(Inbuilt Batteries)	
5	Indicator	Mains On/ On Battery Low Battery/ Fault/ Overload	
	Plug and cable	Input Cable of 1.2 Mtr with 3 Pin Indian plug and output have 4 nos. of 5 pin Indian socket.	12
	Battery Rating	SMF 12V /7AHx2 Nos	
	Alarm	ON Battery/ Fault Over Load, Low Battery	
	Certification	BIS, RoHS	
	In Built Function	Off mode charging and Overload Protection In Built	
	Test report	OEM should submit test report for the quoted model issued by State/ Central laboratory/ NABL accredited labs (not old from last 5 Years)	
	Warranty	3 Year on-site OEM warranty for UPS and Battery with local support	

नोट :- उपरोक्त तालिका में अंकित आईटम्स की संख्या/मात्रा में कमी व वृद्धि की जा सकती है।

मेरे द्वारा उक्त ई—बिड में प्रस्तुत दरें स्वीकृत/अनुमोदित होने पर मुझे बिड की शर्तें स्वीकार होंगी। अमानत राशि घोषणापत्र मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न कर दिया गया है। मैं उपरोक्त तकनीकी मापदण्डानुसार ही आपूर्ति करना सुनिश्चित करता हूँ।

बिडदाता के हस्ताक्षर

मय पूरा पता

Checklist

S.No	Details	Description	
1	Name of Bidder firm	A County of the	· in the desirated first of
2	Status(Proprietor/Partnership Firm/ Company)		
3	Authorized signatory (Name and Designation)		Hart Rosel Milk Control
4	Phone No.		and the second second
5	Mobile No.		EXCELLINE FOR A
6	E-mail Address		A GOVERNMENT
7	Address (Regd.) Office	THE RESERVE TO A SEC.	Taylor -
8	Bank Detail	Account No. Bank- IFSC Code-	P

प्रोग्रामर

उप निदेशक

. उपसचिव

च्ये उपसचिव

विज्ञीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

S.No.	Particulars	Tick Mark (Yes/No)	Index (Pg No.)
1	Challan Bid Fee, Processing Fee and Bid Security (EMD) have been enclosed as desired in the NIB and a scanned copy of the same is uploaded along with Technical Bid (Self Attested- Enclosed)	Yes / No	
2	GST registration certificate (Self Attested- Enclosed)	Yes / No	
3	Duly Signed & sealed, along with declaration of acceptation of T &C.	Yes / No	
4	Annex A B C D of transparency in public procurement Act (Self Attested- Enclosed)	Yes / No	
5	Declaration regarding Not Black Listing Duly signed & sealed Enclosed.	Yes / No	
6	Scanned Copy Of Brochure/ Catalogue etc (Self Attested- Enclosed)	Yes / No	,,
7	Scanned copy of authorization certificate of manufacturer / Authorized distributor/ Authorized Dealer/ Authorized Bonafide dealer (Self Attested-Enclosed)	Yes / No	
8	Scanned Copy Of PAN card (Self Attested- Enclosed)	Yes / No	
9	Minimun Average annual Turnover of the bidder for the last 2 years should be 20 lacs. Attached CA Audited Certificate.	Yes / No	
10	Experience of supply in the Government Departments. Attach Certificate/ Work Order.	Yes / No	

प्रोग्रामर

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

34 निदेशक

(स्टोर)

(लेखा)

उपसचिव

संयुक्त सचिव

(लेखा)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

ई-निविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तें

टिप्पणी—निविदा दाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

र्=निविदा ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जाऐगी, जिसके निर्देश निविदा शर्तों में अंकित हैं।यह द्वि-प्रक्रमी बोली है, जिसमें तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक-पृथक प्रपत्रों में प्रस्तुत की जानी है।

A. तकनीकी ई-निविदा - निम्न दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति संलग्न करना अनिवार्य है-

- (i) प्रतिभूति राशि ई-निविदा शुल्क व आर.आई.एस.एल. शुल्क के चालानों की प्रतिलिपि
- (ii) चैक लिस्ट की पूर्ति कर प्रस्तुत करे।
- (iii) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।
- (iv) ई-निविदा की सभी शर्तों व नियम को स्वीकार करने का घोषणा पत्र।
- (v) पेन कार्ड की प्रति।
- (vi) एनेक्जर A,B,C,D की पूर्ति कर संलग्न करे।
- (vii) ब्लैक लिस्ट संबंधी घोषणा पत्र।
- (viii) अधिकृत विक्रेता/निर्माता आदि संबंधी घोषणा पत्र।
- (ix) ब्रोशर / कैटेलॉग की प्रति।
- (x) सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर (2 वर्ष) की प्रति।
- (xi) वांछित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
- B. वित्तीय ई निविदा— दरे BOQ में दी जायेंगी। निविदा दाता ऑनलाईन ही आईटम वार दर प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी रूप से पात्र निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। अनुमोदित दरें सम्पूर्ण संविदा अविध के लिए स्थाई होंगी।
- विवादाता द्वारा पेन नम्बर प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं जिनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 3 फर्म का टर्नऑवर गत दो वर्षों का 20 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए तथा फर्म के विगत दो वर्षों 2021—22 व 2022—23 के टर्नओवर के संबंध में चार्टेड एकाउटेण्ट का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4 निविदादाता आई.टी. उपकरणों की दर के अतिरिक्त आईटम का Brochure / रंगीन फोटोग्राफ (प्रत्येक आईटम के लिए 01) Specification भी प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5 GST पंजीयन— कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है,यदि राज्य में प्रचलित GST कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो GST कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न की जानी होगी। जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। आयोग द्वारा जीएसटी का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 6 विगत दो वर्षो 2021—22 व 2022—23 में आई.टी उपकरणों की सरकारी संस्थानों, निगम, बोर्ड, शिक्षण संस्थाओं आदि में 15.00 लाख औसत आपूर्ति के अनुभव प्रमाण पत्र या कार्योदेश की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य है।
- 7 आई.टी उपकरण की ब्रांड पिछले 01 वर्ष (2022-23) में प्रचलित 5 आईडीसी शीर्ष में से हो।
- 8 सभी शर्ते व ANNEXURE, हस्ताक्षर व मोहर सहित अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करने है।
- 9 निविदा अधिकृत निर्माता / वितरक / डीलर / विकेता आदि द्वारा ही प्रस्तुत की जानी है । आपूर्ति में प्रयुक्त सामग्री राष्ट्रीय स्तर के मार्का की होनी चाहिये। वे एस.आर. प्रारूप 3 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
- 10 निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा । पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

प्रोग्रामर

अप निदेशव

डु<u>ए</u> उपसचिव उपसचिव

विसीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

- 11 दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर फर्म सील/मोहर लगा किए जाने चाहिए। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
- 12 विधि मान्यता— निविदा, तकनीकी ई—निविदा खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अविध के लिए विधिमान्य होगी।
- 3 अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी मापदण्डों, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग,मापदण्ड आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो,तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 14 निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 15 विशेष विवरण मापदण्ड -
 - 1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित मापदण्ड ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
 - 2. आयोग का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं मापदण्ड के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
 - 3. वारंटी एवं गारंटी का खंड— निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विकेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेगी।
- पा अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रिता आंविकार पर पिता जन्य जाविकार पर प्रतिबद्धार प्राप्त हैं। उस मिन कर्म द्वारा आपूर्ति से पूर्व आयोग की क्रय सिमिति/उपापन कर्ता द्वारा माल का निरीक्षण व परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वे वर्णित मापदण्डों के अनुरूप हैं या नहीं । तकनीकी रूप से मापदण्डों के अनुरूप ना पाये जाने पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है । जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों व तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगे।

17 रद्द करना (Rejection) :-

1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा ।

2. तथापि,यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी ।

18 रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 10 दिन के भीतर हटा लेगा। इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि,कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

19 निविदादाता उचित पैंकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी

प्रोग्रामर

(आई. टी. सैल) (आई.टी.)

34 निदेशक

उपसचिव

(स्टोर)

उप

उपसचिव

(लेखा)

विस्नीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(लेखा)

गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

- प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं ,तो 20 निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate)कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक 21 प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी ।
- स्पूर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह आपूर्ति आदेश की तारीख से 22 आदेशानसार अवधि के भीतर आपर्ति करने की व्यवस्था करेगा :-
 - 1. मात्रा की सीमा-आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तू शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (निविदा सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी। यदि केता अधिकारी किन्ही निविदा में अंकित वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।
- समस्त माल भाडा चुका कर भेजा जाएगा । 23
- करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit):-24
 - 1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 5 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 05 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी।
 - निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाइयों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भूगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के आपूर्ति आदेश के मूल्य के 01 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भूगतान करेंगी।
 - ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभृति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
 - रूग्ण इकाई हेत् प्रतिभूति राशि 02 प्रतिशत होगी।
 - 2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - 3. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी / सावधि जमा (FDR) किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती
 - 4. आर.टी.पी.पी. नियम 42(11)(a)(b)(c)(d)(e) के आधार पर निविदादाता की निविदा प्रतिभूति / अमानत राशि समपहृत की जा सकती है।
 - यदि अनुमोदित निविदा दाता अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य संपादित करने में असफल रहा हो तो अनुबंध तूरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
- 25 निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभृति का समपहरण : बिड कार्य संपादन प्रतिभृति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :-
 - 1 जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।
 - 2 जब बिडदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो
 - निविदा प्रतिभूति राशि को समपह्नत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

34 निदेशक

वित्तीय सलाह

(प्रशासन)

(आई. टी. सैल)

(स्टोर)

(लेखा)

(आई.टी.)

(लेखा)

करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

26 भुगतान :

सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2 विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस

विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।

उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे।

27 निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सारांश रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से आदेश के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति करेगा।

28 परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages):— परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता आपूर्ति करने में असफल रहा हैं —

। विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

- एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
 आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिए 7.5 प्रतिशत
- 4 विहत अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5 विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

6 परिनिर्धारित क्षित की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7 यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

यदि माल की आपूर्ति करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई

हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

29 वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता हैं तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध निविदा कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

30 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए

गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

केता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।

2 RTPP नियम 2013 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खंड के

अध्ययधीन होंगी।

33 निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग (क—2) राजस्थान सरकार, जयपुर एवं द्वितीय अपील सचिव, कार्मिक विभाग (क—2), राजस्थान सरकार, जयपुर को की जा सकेगी।

34 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

35 निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर फर्म की मोहर लगाया जाना आवश्यक है।

प्रोग्रामर प्रोग्रामर

उप निदेशव

श्री उपसचिव

-वी-उपसचिव

विचीय सलाहव

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

- 36 RTPP Act 2012 एव RTPP Rules 2013 के प्रावधान एवं निविदा प्रपन्न की शर्तों में भिन्नता होने पर RTPP नियम 2013 के प्रावधान एवं शर्तें मान्य होगें।
- 37 दरें समस्त कर सहित अंकित की जानी है। नियमानुसार लागू समस्त करों की कटौती आयोग द्वारा की जाएगी।
- 38 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure A,B,C,D ,फार्म संख्या 01, ई निविदादाता का घोषणापत्र व ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इनके अभाव में निविदादाता को अपात्र घोषित किया जा सकता है।

मैंने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता:--

प्रोग्रामर

उप निदेशव

उपसचिव

-वे-सपसचिव

वित्तीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

ई-निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं। (प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा ।

बिडदाता के हस्ताक्षर

श्रीग्रामर

(आई. टी. सैल)

विश्व

(आई.टी.)

उपसचिव

(स्टोर)

ची-उपसचिव

(लेखा)

वित्तीय सलाहकार

(लेखा)

संयुक्त सचिव

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a) have controlling partners/ shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge / consultant for the contract.

प्रोग्रामर

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

उपसचिव

(स्टोर)

उपर

(लेखा)

त्तीय सलाहकार (लेखा)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

	Decimination	
n rela	ation to my/ our Bid submitted to	for procurement of
		their Notice Inviting Bids No
Dated	I/we hereby declare under Sec	tion 7 of Rajasthan Transparency in Public
Procur	rement Act, 2012, that:	
	I/we possess the necessary professional, technicompetence required by the Bidding Document	it issued by the Procuring Entity;
2.	I/we have fulfilled my/our obligation to pay s the State Government or any local authority as	such of the taxes payable to the Union and
3.	I/we are not insolvent, in receivership, bank affairs administered by a court or a judicial of	rupt or being wound up, not have my/our officer, not have my/our business activities
4.	suspended and not the subject of legal proceed I/we do not have, and our directors and office	rs not have, been convicted of any criminal
	offence related to my/our professional cond misrepresentations as to my/our qualifications a period of three years preceding the commen have been otherwise disqualified pursuant to d	luct or the making of false statements or to enter into a procurement contract within accement of this procurement process, or not lebarment proceedings;
5.	I/we do not have a conflict of interest as sp Document, which materially affects fair comp	pecified in the Act. Rules and the Bidding etition;
		enda de la companya della companya d
Date:		ignature of bidder:
Place:		Name:
	A SECTION OF THE PROPERTY OF T	Designation: Address:
	and the second of the second of	

प्रोग्रामर

(आई. टी. सैल)

उप निदेशक

(आई.टी.)

जुपश्चिव

(स्टोर)

चु-

(लेखा)

विसीय सलाहकार

(लेखा)

संयुक्त सचिव

1

Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Joint Secretary, DOP (A-2), Jaipur The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, DOP, Govt. of Raj., Jaipur

- 1. Filling an appeal:- If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved: provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
- 2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- **4. Appeal not to lie in certain cases:-** No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:
 - a. determination of need of procurement;
 - b. provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
 - c. the decision of whether or not to enter into negotiations;
 - d. cancellation of a procurement process;
 - e. applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of appeal:-

- **a.** An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- **b.** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- **c.** Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal:-

- **a.** Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- **b.** The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

a. The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

प्रोग्रामर

उप निदेश

-प्रे-उपसचिव

वित्तीय सलाहका

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

- **b.** On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
 - **ii.** peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- **d.** The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

न्त्रीयामर प्रोग्रामर

(आई. टी. सैल)

उप निदेशक

(आर्र टी)

र् उपसचिव

(स्टोर)

-यो-उपसचिव

(लेखा)

विज्ञीय सलाहकार

राषुपरा

(लेखा)

Annexure D: Additional Conditions of Contract

- 1. **Correction of arithmetical errors:** Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
 - a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
 - b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
 - c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above.
 - d. if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- a. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- b. if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- c. In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity—shall not be more than 50% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
- 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods): As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

प्रोग्रामर

उप निदेशक

उपसचिव

उपसचिव

विलीय सलाहकार

र्भेयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement (RTPP) Act, 2012

	e the of (First/ Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
	a. Name of the appellant
	b. Official address, if any:
	c. Residential address:
2.	Name and address of the respondent(s):
	a. The state of th
	b. and the state of the state o
	c.
	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and posta address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
0.	Grounds of appeal:
	(Supported by an affidavit
7.	Prayer:
Pl	ace
Da	ate
٨	ppellant's signature
	monant o oienature
	FP

जिल्हे । प्रोग्रामर

प्रोग्रामर <u>34</u> निदेशक (आई. टी. सैल) (आई.टी.) उपसचिव

उपसचिव

विक्रीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)

राजस्थान सरकार

बिड क्रमांक

दिनांक :--

शपथ-पत्र (100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

 ता)
है तथा गलत पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी
जाता है कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म/एजेन्सी कारी/अर्द्वसरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा Black
हस्ताक्षर
नाम
पद फर्म / कंपनी / एजेन्सी का नाम फर्म / कंपनी / एजेन्सी का पता

प्रोग्रामर

उए निदेशक

जपसचिव उपसचिव ज्यू स्व

विन्नीय सलाहकार

संयुक्त सचिव

(आई. टी. सैल)

(आई.टी.)

(स्टोर)

(लेखा)

(लेखा)